वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद,

अनुसंधान भवन, 2. रफी मार्ग, नई दिल्ली- 110001

NO. 6-9(131)/2005-E-III दिनांक:-21.01.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- 'अचल संपति' का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने विषयक

संदर्भ:- समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31.12.2019

परिषद के कर्मचारियों पर लागू सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18 (1)(ii) के अनुसार 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए उपर उल्लिखित अचल परिसंपत्ति का वार्षिक विवरण सीएसआईआर मुख्यालय के समूह 'क' और 'ख' के अधिकारियों/कर्मचारियों से दिनांक 31/01/2020 तक प्राप्त किया जाना था। इस संदर्भ में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के का0 जा0 सं0 11012/11/2007-Estt. (A) दिनांक 27/09/2011 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार उन अधिकारियों/कर्मचारियों को Vigilance Clearance नहीं दिया जा सकता जिन्होंने पिछले वर्ष का अचल संपत्ति विवरण नहीं दिया है।

यह देखा गया है कि कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों का वर्ष 2019 का अचल संपत्ति विवरण अभी तक इस अनुभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआइआर ने इसे गंभीरतापूर्वक लिया है।

अंत: रुपये 4200/- व उससे अधिक ग्रेड पे लेने वाले सभी समूह 'क' और 'ख(Non-Gazetted सहित) अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपना वर्ष 2019 का अचल संपत्ति विवरण केन्द्रीय कार्यालय प्रशासन को दिनांक 25.01.2021 तक प्रस्तुत करें। ऐसा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होने अपनी वर्ष 2019 का अचल संपत्ति का विवरण पहले ही प्रस्तुत कर दिया है, उन्हें यह विवरण पुन: प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(सुदेष्णा सान्याल)
अवर सचिव (के. का.)

प्रतिलिपि:

1. सीएसआईआर मुख्यालय /सीएसआईआर,कॉम्पलेक्स /एचआरडीसी /आईपीयू/ विज्ञानकेन्द्र/ एमबीएसए/ टीकेडीएल/ एचआरडीजी/ उर्डिप/ एमबीएसए/ विज्ञानकेन्द्र/ टीकेडीएल/ यूआरडीआईपी के सभी प्रभागों / अनुभागों के प्रधानों को - इस अनुरोध के साथ कि वे अपने अधीन कार्यरत स्टाफ-सदस्यों में इसे परिचालित करें।
2. उपाध्यक्ष, सीएसआईआर का कार्यालय
3. महानिदेशक, सीएसआईआर का कार्यालय
4. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सीएसआईआर का कार्यालय
5. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर की निजी सहायक
6. मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), सीएसआईआर का कार्यालय
7. विधि सलाहकार के निजी सचिव
8. सीएसआईआर मुख्यालय/ सीएसआईआरकॉमप्लेक्स/ आरएबी/ एचआरडीसी/ आईपीयू/ विज्ञानकेन्द्र/ एमबी एसए/ टीकेडीएल के सभी सूचना पट्ट
9. प्रधान, आईटी प्रभाग - इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय ज्ञापन को कार्यालय की वेबसाइट पर डालें।
10. कार्यालय प्रति